

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्री मनोज

विपक्षी :- श्री दिनेश

किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 275 / 17

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सुचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 28.12.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प लोपडा में पेश हुई। वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। वादी की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर वादीगण द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p>परिणामस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा लोपडा पटवार हल्का लोपडा की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>	

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	मनोज कंधारी पिता हरिश कंधारी निवासी 13 सी टाउन हॉल रोड उदयपुर खातेदार	396 / 1 397 / 1 398 / 1	1.04 0.03 0.15	0.36 0.05 0.22
	योग	किता 3	2.02	0.63
2	हरिश कंधारी पिता स्व. मूलचन्द कंधारी निवासी 13 सी टाउन हॉल रोड, उदयपुर खातेदार	396 / 2 397 / 2 398 / 2	1.14 1.17 0.13	0.51 0.55 0.20
	योग	किता 3	4.04	1.26
3	मनोज कुमार, कृष्णगोपाल, विजय कुमार पिता मोहन शंकर ब्राह्मण 1/2, दिनेशचन्द्र, सुरेशचन्द्र पिता हरिशंकर ब्राह्मण 1/2 निवासी लोपडा तह. मावली उदयपुर	396 मी 397 मी 398 मी. 399	7.17 0.01 0.12 4.04	2.36 0.02 0.18 3.78
	योग	किता 4	12.14	6.34

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री मयंक मनीष, I.A.S

मुकदमा नम्बर : 275/17 (वाद)

उनवान

1. श्री मनोज पिता हरिश कंधारी निवासी 13 सी टाउन हॉल रोड, उदयपुर।
2. श्री हरिश पिता स्व. मूलचन्द कंधारी निवासी 13 सी टाउन हॉल रोड, उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री दिनेशचन्द्र पिता हरिशंकर ब्राह्मण निवासी लोपडा तह. मावली।
2. श्री सुरेशचन्द्र पिता हरिशंकर ब्राह्मण निवासी लोपडा तह. मावली।
3. श्री मनोजकुमार पिता मोहनशंकर ब्राह्मण निवासी लोपडा तह. मावली।
4. श्री कृष्णगोपाल पिता मोहनशंकर ब्राह्मण निवासी लोपडा तह. मावली।
5. श्री विजयकुमार पिता मोहनशंकर ब्राह्मण निवासी लोपडा तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.12.2021 को मयंक मनीष, I.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा लोपडा पटवार हल्का लोपडा की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	मनोज कंधारी पिता हरिश कंधारी निवासी 13 सी टाउन हॉल रोड उदयपुर खातेदार	396/1 397/1 398/1	1.04 0.03 0.15	0.36 0.05 0.22
	योग	किता 3	2.02	0.63
2	हरिश कंधारी पिता स्व. मूलचन्द कंधारी निवासी 13 सी टाउन हॉल रोड, उदयपुर खातेदार	396/2 397/2 398/2	1.14 1.17 0.13	0.51 0.55 0.20
	योग	किता 3	4.04	1.26
3	मनोज कुमार, कृष्णगोपाल, विजय कुमार पिता मोहन शंकर ब्राह्मण 1/2, दिनेशचन्द्र, सुरेशचन्द्र पिता हरिशंकर ब्राह्मण 1/2 निवासी लोपडा तह. मावली उदयपुर	396 मी 397 मी 398 मी. 399	7.17 0.01 0.12 4.04	2.36 0.02 0.18 3.78
	योग	किता 4	12.14	6.34
4	सोहनलाल पिता सवा बलाई सा. देह खातेदार	3210 मी	2.09	0.74
	योग	किता 1	2.09	0.74

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 28.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली